

ज्ञापांक-2039/तक0/2023

अग्निशमन सेवा मुख्यालय, झारखण्ड, राँची।

दिनांक-13.02.2023

सेवा में,

VIJAY BAJAJ,
JAI DURGA IRON PRIVATE LIMITED,
4G, SRI RAM APARTMENT RANCHI PATNA ROAD,
NEAR SAMANTO KALI MANDIR JHUMRI TELAIYA,
KODERMA825409.

विषय:- मौजा-तिलैया, प्लॉट नं0-1186/7936 AND 1186/7749, खाता नं0-1312 AND 1303, वार्ड नं0-00, थाना-तिलैया, जिला-कोडरमा में निर्मित फ़ैक्ट्री भवन हेतु अग्नि-सुरक्षात्मक सलाह।

उपर्युक्त विषयक ऑन-लाईन भेजे गये प्लान के अनुसार संबंधित निर्मित फ़ैक्ट्री भवन के स्थल की भौतिक जाँच प्रभारी अग्निशामालय पदाधिकारी, कोडरमा से निर्मित स्थल का भौतिक निरीक्षण कराया गया। उन्होंने अपने ज्ञापांक-186 दिनांक-11.04.2023 के माध्यम से समर्पित स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन एवं उसमें की गई अनुशंसा के आलोक में डाउनलोड किये गये प्लान के अनुसार निर्मित फ़ैक्ट्री भवन हेतु निम्नांकित अग्नि-सुरक्षात्मक सलाह दिये जाते हैं :-

1. निर्मित फ़ैक्ट्री के सामनेवाले भाग में कम से कम 1,00,000 लीटर क्षमता वाले अंडरग्राउण्ड स्टैटिक वाटर टैंक का निर्माण अग्निशमन कार्य हेतु ऐसे स्थान पर कराया जाय, जहाँ अग्निशमन वाहन आसानी से पहुँचकर पानी ले सके।
2. किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में इस टैंक से पानी लिये जाने हेतु Fire Service Draw-Out Connection दिये जाने की व्यवस्था की जाय।
3. फ़ैक्ट्री भवन के चारों तरफ रिंग मेन्स का निर्माण कराया जाय। जिसमें प्रत्येक 30 मीटर अथवा उसके भाग पर एक-एक यार्ड हाईड्रैण्ट दिये जाने की व्यवस्था की जाय। यार्ड हाईड्रैण्ट के पास डिलिवरी आउटलेट तथा दो अदद डिलिवरी होज एवं एक अदद ब्रांच सहित एक-एक होज बॉक्स की संस्थापन कराया जाय।
4. फ़ैक्ट्री भवन के ऑफिस को Smoke Detector System से सुरक्षित किया जाय एवं ऐसी व्यवस्था रखी जाय।
5. फ़ैक्ट्री के प्रवेश एवं निकास द्वार के पास फोरवेज फायर सर्विस इनलेट का संस्थापन कराया जाय।
6. अग्निशमन कार्य हेतु कम से कम दो अदद 1620 Lpm क्षमता वाले फायर पम्प का संस्थापन कराया जाय।
7. 180 Lpm का जॉकी पम्प लगाये जाने की व्यवस्था की जाय।
8. फ़ैक्ट्री भवन विजली के मेन स्विच बोर्ड के पास 4.5 के0जी0 क्षमता के 02-02 अदद सी0ओ0टू तथा 06 के0जी0 क्षमता के 02-02 अदद डी0सी0पी0 अग्निशमन यंत्र रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
9. फ़ैक्ट्री भवन की विद्युत व्यवस्था किसी लाइसेंसी इलेक्ट्रीशियन के माध्यम से कराया जाय।
10. फ़ैक्ट्री भवन में प्रति 400 वर्गमीटर के लिये कम से कम 09 Kg क्षमता वाले दो-दो अदद डी0सी0पी0 अग्निशमन यंत्र रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
11. फ़ैक्ट्री भवन के किसी भी सेटबैक एरिया को किसी भी प्रकार से कमी भी बाधित नहीं किया जाय, ताकि अग्निशमन एवं बचाव कार्य में किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो।
12. फ़ैक्ट्री भवन में Manually Operated Fire Alarm लगाये जाने की व्यवस्था की जाय, इसका हूटर इतना शक्तिशाली हो कि इसकी आवाज फ़ैक्ट्री भवन के प्रत्येक भाग में स्पष्ट रूप से सुनाई देने में सक्षम हो।

For Jai Durga Iron Pvt Ltd


Director

13. फ़ैक्ट्री भवन परिसर में एक फायर बूथ स्थापित किया जाय, जिसमें निम्नलिखित अग्निशमन यंत्र आरक्षित अवस्था में रखा जाय।
- | | | |
|--------------------------------|---|---------|
| i. DCP Fire Extinguisher 06 kg | - | 04 Nos. |
| ii. Fire Bucket | - | 04 Nos. |
| iii. Form Extinguisher 09 Ltr | - | 02 Nos. |
| iv. Fire Bitter | - | 08 Nos. |
14. फ़ैक्ट्री मैटेरियल के प्रतिदिन डिस्पोजल हेतु समुचित व्यवस्था की जाय।
15. Exit & Leading to Exit Way को कभी भी किसी भी प्रकार से बाधित नहीं किया जाय।
16. यह सुनिश्चित किया जाय कि किसी भी स्थिति में ट्रेवेल डिस्टेंस 30 मीटर से अधिक नहीं हो।
17. फ़ैक्ट्री भवन के अन्दर Electrical Warring सही तरह से अरथिंग एवं बाउंडिंग कराकर रखा जाय।
18. मेन इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड को Auto Modular Fire extinguisher एवं रबड मैट से सुरक्षित किया जाय। मेन इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड के पास फर्श पर कम से कम 30 MM मोटा रबड मैट लगाये जाने की व्यवस्था की जाय। फ़ैक्ट्री भवन में मानक के अनुरूप तड़ित चालक लगाये जाने की व्यवस्था की जाय।
19. फ़ैक्ट्री भवन को उपयोग में लाये जाने के पूर्व फ़ैक्ट्री भवन में संस्थापित किये गये अग्नि-सुरक्षात्मक व्यवस्था का विस्तृत प्लान इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए जॉच प्रतिवेदन अवश्य प्राप्त कर लेंगे साथ ही आवेदक अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने से पूर्व पूरी तरह भरा हुआ सेल्फ अप्रैजल चेक लिस्ट एवं नोटरी पब्लिक के द्वारा जारी एक शपथ पत्र समर्पित करेंगे कि अग्निशमन सेवा मुख्यालय के द्वारा दिये गये सुझावों का अनुपालन पूरी तरह करा लिया गया है।
20. अग्नि-सुरक्षा के दृष्टिकोण से दिये गये सुझावों के अनुपालन की जॉच इस कार्यालय से कराये जाने एवं जॉच में संतोषप्रद पाये जाने के पश्चात ही अनापत्ति प्रमाणपत्र निर्गत किया जा सकेगा।
21. निर्मित भवन के किसी भी भाग में बाद में यदि Plan अथवा Nature Of Occupancy में बदलाव किया जाता है तो इस कार्यालय को सूचित करके Clearance अवश्य प्राप्त करेंगे।
22. राष्ट्रीय भवन संहिता भाग IV के नियम 6.7 में वर्णित सुरक्षा व्यवस्थाओं का दृढ़ता से अनुपालन किया जाय।

**JAGJEEWAN
RAM**

Digitally signed by JAGJEEWAN RAM
DN: cn=, o=GOVERNMENT OF JHARKHAND, ou=HOME JAIL
AND DISASTER MANAGEMENT,
2.5.4.20=6e18d9fa747613d294c403b5001134ec2902b6b90
ba3c4ac58b0851f5a57, postalCode=834002, st=Jharkhand,
serialNumber=19582670ae7d8af743b63a086f0c97a7bc8a01
d90f3ec023dc53831594431a70, cn=JAGJEEWAN RAM
Date: 2023.04.14 13:55:25 +05'30'

(जगजीवन राम)

प्रभारी अपर राज्य अग्निशमन पदाधिकारी,
झारखण्ड, राँची।

For Jai Durga Iron Pvt Ltd


Director